B.A. Part II
Fifth Paper

By: Dr. Shailesh Kumar
Dept. of Economics
Raja Singh College
Siwan

11.7.2[illegible]

कर प्रणाली का प्रगामीपन - एक टिप्पणी

Progressivity of taxation (a comment)

किसी एक विचाराधीन कर के प्रगामीपन का अर्थ है उसके प्रमापन का विवेचन इससे पहले किया जा चुका है। परंतु कई बार यह प्रश्न उठता है कि समस्त कर-प्रणाली के प्रगामीपन को किस प्रकार मात्राबद्ध किया जाए। इस संदर्भ में विश्लेषणकर्ताओं ने कई विकल्प सुझाए हैं। परंतु उनमें से किसी एक को सर्वोत्तम घोषित करना संभव नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि वितरणीय असमानताएँ कर-प्रणाली के प्रगामीपन के अतिरिक्त कई अन्य कारकों द्वारा भी प्रभावित होती हैं।

मान लें कि राष्ट्रीय आय और कर-देयता क्रमशः Y और T के बराबर हैं तथा इस प्रकार कराधान की औसत दर T/Y के बराबर है। इसी प्रकार यदि यदि राष्ट्रीय आय में M(Y) बढ़ोतरी होने पर सकल कर-देयता में M(T) की वृद्धि होती हो, तो कराधान की सीमांत दर M(T)/M(Y) के बराबर होगी।

इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कर-प्रणाली के प्रगामीपन के मुख्य प्रमापन नीचे दिए गए हैं।

1. यदि राष्ट्रीय आय बढ़ने के साथ-साथ कराधान की औसत दर में भी बढ़ोतरी होती हो, तो कर प्रणाली को प्रगामी माना जाएगा। इस विधी में करदाताओं को उनकी आय के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है और तदनुरूप उनकी कर-देयता आंकी जाती है।

2. प्रो० पीगू (Professor Pigou) ने कर के प्रगामीपन को आंकने के लिए सीमांत कर-दर को प्राथमिकता दी है। इस प्रमापन के अनुसार यदि करदाताओं की आय के बढ़ने के साथ-साथ सीमांत कर-दर भी बढ़ जाती हो, तो कर प्रणाली को प्रगामी माना जाएगा।

Scanned by CamScanner

3. यह भी सम्भव है कि कर-प्रणाली में निम्न आय वालों के लिए कर-छूट का प्रावधान हो। इस स्थिति में राष्ट्रीय आय के बढ़ने पर सीमांत दर के स्थिर रहते हुए भी औसत दर बढ़ती जाती है। अतः आय, औसत कर-दर और सीमांत कर-दर का एकसाथ प्रयोग करते हुए निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं।

	प्रगामी	अनुपाती	पश्चगामी
(करदेयता में आनुपातिक परिवर्तन)/(राष्ट्रीय आय में आनुपातिक परिवर्तन)	> 1	$= 1$	< 1
सीमांत कर/औसत कर	> 1	$= 1$	< 1
सीमांत कर - औसत कर	> 0	$= 0$	< 1

4. प्रो० मस्ग्रेव और थिन (musgrave and Thin) के अनुसार कर-प्रणाली का प्रगामीपन (कर-देयता में आनुपातिक वृद्धि/राष्ट्रीय आय में आनुपातिक वृद्धि) के बराबर होता है। स्पष्ट है कि यह प्रमापन कराधान की राष्ट्रीय आय के प्रति लोच के बराबर है। इसे कर-देयता प्रगामीपन (Liability Progression) की संज्ञा दी जाती है।

5. एक अन्य प्रमापन के अनुसार कर प्रणाली का प्रगामीपन [(1-सीमांत कर दर)/(1-औसत कर दर)] के अनुपात के बराबर है। इस प्रमापन को शेष आय प्रगामीपन (Residual Income Progression) की संज्ञा दी जाती है।

6. प्रो० डाल्टन ने सापेक्षिक औसत अंतर (Relative Mean Difference) के द्वारा कर-प्रणाली के प्रगामीपन को मापने का सुझाव दिया। इस सुझाव के अनुसार विभिन्न आय वर्गों की औसत दरों का सापेक्षिक औसत अंतर कर-प्रणाली के प्रगामीपन का एक उत्तम प्रमापन है। परंतु इस प्रमापन की त्रुटि यह है कि जब धनी वर्गों की कर-देयता में कमी तथा निर्धन वर्गों की कर-देयता में बढ़ोतरी की जाए, तो भी इस प्रमापन के अनुसार कराधान के

Scanned by CamScanner

प्रगामीपन में वृद्धि होती है।

7. एक अन्य प्रमापन को केन्द्रीकरण प्रमापन कहा जाता है। इस विधी में करदाताओं को कई आय वर्गों में बाँटने के पश्चात प्रत्येक आय-वर्ग के लिए कर की औसत दर अनुमानित की जाती है। तत्पश्चात् इन अनुमानों को एक रेखाचित्र के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। x-अक्ष पर आय वर्गों को बढ़ती आय के क्रम से तथा y-अक्ष पर उसी क्रमानुसार उनकी कर-देयताओं की औसत दरें प्रस्तुत करने पर जो वक्र प्राप्त होता है, उसे केन्द्रीकरण वक्र (Concentration curve) कहा जाता है। इस विधी विधि के अनुसार कर-प्रणाली का प्रगामीपन =

1 - 2 (केन्द्रीकरण वक्र और दोनों अक्षों के बीच क्षेत्रफल) के बराबर है। इस प्रमापन के बढ़ते मूल्य को कर प्रणाली के प्रगामीपन में बढ़ोतरी माना जाता है।

8. एक अन्य विधि के अनुसार राष्ट्रीय की वितरणीय असमानता के दो अनुमान लगाए जाने चाहिए: एक करारोपण से पहले के लिए (G) और दूसरा करारोपण से बाद के लिए (G^*)। इस दशा में =

$$(G^* - G)/G$$

को कर-प्रणाली के प्रगामीपन का प्रमापन माना जाता है।

Scanned by CamScanner